भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2006 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024/11 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

सागरमाला के अंतर्गत फिशिंग हार्बर

† 2006. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक सागरमाला परियोजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत और पूर्ण किए गए फिशिंग हार्बर की राज्य–वार सूची क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फिशिंग हार्बर के निर्माण के लिए सागरमाला परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधि स्वीकृत/ जारी की गई है; और

(ग) इन आवंटित निधियों की स्वीकृति/ जारी किए जाने के लिए अंगीकृत मापदंडों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सागरमाला योजना के तहत स्वीकृत और पूरे किए गए फिशिंग हार्बरों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): फिशिंग हार्बर के लिए सागरमाला के तहत, विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत/ जारी की गई निधियों की राशि का राज्य-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग): सागरमाला योजना के तहत स्वीकृत/ जारी निधि, सागरमाला निधियन दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है जो कार्य आदेश जारी करने, पर्यावरण और अन्य निकासी, परियोजना की वास्तविक प्रगति और उपयोग प्रमाण-पत्र जैसे पैरामीटर के आधार पर की जाती है।

अनुबंध-I

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत मत्स्यन हार्बरों की संख्या	पूरे किए गए मत्स्यन हार्बरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5	1
2	गुजरात	1	0
3	कर्नाटक	4	2
4	केरल	3	2
5	महाराष्ट्र	5	2
6	ओडिशा	2	0
7	तमिलनाडु	5	4
	कुल	25	11

अनुबंध-II

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत निधि (करोड़ रु. में)	जारी की गई निधि (करोड़ रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	170	44.18
2	केरल	50	0
3	महाराष्ट्र	48.3	5.04
4	ओडिशा	49.875	0
5	तमिलनाडु	49.925	7.40
6	गुजरात	0	5.00
	कुल	368.10	61.62

*****